

मानवाधिकार शिक्षा

राजेन्द्र कुमार, डॉ. निशा कुमारी

¹शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)

²सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)

शोध लेख सार

मानवाधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्यों को हमेशा प्राप्त होने चाहिए। समाज में शिक्षा का व्यापक प्रसार मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है। प्राचीन काल से समाज में मानवाधिकारों का बहुत महत्व रहा है। शिक्षा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यक्तियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल व उच्च शिक्षा स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इनकी शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है। मानवाधिकार शिक्षा समाज में परिवर्तन लाने में सहायक है। मानवाधिकार शिक्षा को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन फिर भी इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

मूल शब्द -जागरूकता, सकारात्मक, सशक्त, न्याय, प्रक्रिया।

शोध लेख का उद्देश्य

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य मानवाधिकार शिक्षा के महत्व व इसके समक्ष चुनौतियों को प्रकट करना है।

भूमिका

मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो हर मनुष्य को उसकी मानवता के आधार पर प्राप्त होते हैं, चाहे उसकी जाति, लिंग, धर्म या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ये अधिकार जीवन, सुरक्षा, स्वतन्त्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। मानवाधिकार एवं मानव गरिमा की धारणा में घनिष्ठ संबंध हैं। मानवाधिकारों की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा वर्ष 1948 में अंगीकृत 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' में स्पष्ट की गई है। इस घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं। इन अधिकारों में स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार मुख्य हैं। शिक्षा एक समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के

द्वारा व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल व सामाजिक और आर्थिक अवसरों की प्राप्ति होती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भरता, स्वतन्त्र विचार और नैतिक मूल्यों को विकसित करता है। शिक्षा समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। समाज में शिक्षा का व्यापक प्रसार एक महत्वपूर्ण और समान अवसरों वाला समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मानवाधिकार शिक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य

मानवाधिकार संबंधी शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक काल में मानवाधिकारों के कुछ सिद्धान्त मिलते हैं। ऋग्वेद और अन्य वेदों में सामाजिक न्याय, मानव सम्मान और समानता के विचार देखे जा सकते हैं। प्राचीन ग्रीस और रोम में भी मानवाधिकारों के सिद्धान्तों की झलक मिलती है, जहाँ कानूनी प्रक्रिया व नागरिकों के अधिकारों की परम्पराएँ स्थापित हुईं। मध्यकालीन युग में इस्लामी सभ्यता ने भी मानवाधिकारों पर जोर दिया। हदीस और कुरान में व्यक्तियों के कर्तव्यों व अधिकारों की चर्चा की गई है। भारत में मुगल साम्राज्य के अकबर के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता व न्याय पर जोर दिया गया। 17वीं व 18वीं शताब्दी में यूरोप में विभिन्न क्रांतियों ने मानवाधिकार की अवधारणा को स्पष्ट रूप से उभारा। पाश्चात्य राजनीति दर्शन में मानव अधिकारों की अवधारणा को 20वीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त हुई। मानवाधिकार और शिक्षा, दोनों अवधारणाएँ समय के साथ विकसित हुई हैं। आज भी ये दोनों एक-दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

मानवाधिकार शिक्षा का महत्व

आज हम जिन मानवाधिकारों से परिचित हैं वह एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम हैं। मानवाधिकार मानव जाति द्वारा स्वतंत्र जीवन जीने के लिए किए गए निरन्तर प्रयासों का परिणाम है। शिक्षा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यक्तियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सचेत करती है और उन्हें अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम बनाती है। मानवाधिकार और शिक्षा मिलकर सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये दोनों मिलकर समाज में शांति, न्याय और स्थिरता की स्थापना करते हैं।

इस शिक्षा के द्वारा यह समझा जाता है कि कौन से अधिकार संरक्षित हैं और उनका उल्लंघन कैसे होता है। यह शिक्षा कानूनी प्रक्रियाओं और संरचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिससे लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठा सकें। मानवाधिकार शिक्षा अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ एक मजबूत आधार तैयार करती है। यह व्यक्तियों और समुदायों को न्याय और शांति के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्तियों को आत्म-सशक्त बनाने में मदद करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में मानवाधिकारों के प्रति चेतना पैदा की जा सकती है।

भारत में मानवाधिकार शिक्षा

भारत में मानवाधिकार शिक्षा देश के नागरिकों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करती है। भारत के कई स्कूलों में मानवाधिकार शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। यह शिक्षा समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र और नैतिक विज्ञान जैसे विषयों के माध्यम से दी जाती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवाधिकार अध्ययन के अनेक पाठ्यक्रम और शोध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में मानवाधिकार केन्द्र और विभाग स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। विभिन्न राज्यों ने भी अपने-अपने मानवाधिकार आयोगों के माध्यम से मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा दिया है। कई गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी मानवाधिकार शिक्षा के लिए अभियान चलाए हैं।

मानवाधिकार शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन

मानवाधिकार शिक्षा समाज में महत्वपूर्ण और स्थाई परिवर्तन लाने में सक्षम है। यह शिक्षा व्यक्तियों और समुदायों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। यह शिक्षा उन्हें एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए सशक्त बनाती है। मानवाधिकार शिक्षा लिंग भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह पुरुष व महिलाओं के बीच अधिकारों और अवसरों को बढ़ावा देती है। यह शिक्षा जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव की खत्म करने में मदद करती है। यह शिक्षा गरीबी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह शिक्षा वंचित और कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। यह शिक्षा लोगों को हिंसा और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के तरीकों के प्रति जागरूक करती है। यह शिक्षा लोगों को वैश्विक समस्याओं के प्रति जागरूक करती है। इस शिक्षा के द्वारा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं।

मानवाधिकार शिक्षा के सामने चुनौतियाँ और अवसर

मानवाधिकार शिक्षा के सामने चुनौतियों में संसाधनों की कमी सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक साधन जैसे वित्त, शैक्षिक सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। पाठ्यक्रम की सम्पूर्णता में कमी पाई जाती है और शिक्षा का प्रभाव बहुत सीमित है। कुछ समाजों में सांस्कृतिक और पारम्परिक मान्यताएँ मानवाधिकार शिक्षा के प्रसार में बाधा डालती हैं। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण मानवाधिकार शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। कई स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों को समान शिक्षा के अवसरों से वंचित किया जाता है। शिक्षा और साक्षरता के निम्न स्तर के कारण मानवाधिकार शिक्षा का प्रभाव सीमित है। सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण मानवाधिकार शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन कठिन हो जाता है।

अवसरों की बात करें तो शिक्षा और जागरूकता अभियानों का विस्तार किया जा सकता है। मानवाधिकार शिक्षा के लिए डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा सकता है। मानवाधिकार शिक्षा के लिए ठोस नीतियों और योजनाओं का निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता है। गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटियों के साथ मिलकर मानवाधिकार शिक्षा के प्रयासों को और मजबूत किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों और समझौतों के माध्यम से मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल एप्स के माध्यम से मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

समाज में मानवाधिकार शिक्षा बहुत आवश्यक है। इस शिक्षा के द्वारा समाज मजबूत बनता है। भारत में मानवाधिकार शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह शिक्षा समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम है। मानवाधिकार शिक्षा के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों को ठोस नीतियों और योजनाओं से दूर किया जा सकता है। मानवाधिकार और शिक्षा के संबंध बहुत गहरे हैं।

सन्दर्भ सूची

1. सिंहल, डॉ. एस.सी., मानवाधिकार अध्ययन, लक्ष्मी नारायण प्रकाशन, आगरा, 2019
2. सैनी, डॉ. इन्दु, मानवाधिकार और महिला, श्वेता मल्टीमीडिया, पिलानी, राजस्थान, 2014
3. बिसवाल, डॉ. तपन, मानवाधिकार जेन्डर एवं पर्यावरण, विवा बुक्स, नई दिल्ली, 2009
4. <https://nhrc.nic.in> सम्प्राप्ति 18 दिसंबर 2023